संख्या-7/2019/1515/12-5-2018-सा०-25/2017टीसी

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 06 फरवरी, 2019**

विषय:-वर्ष 2018-19 में लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 102-मृदा संरक्षण, 03-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई की योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू०सं०लेखा/पुर्न०प्रस्ताव/2018-19/228डी, दिनांक 16.11.2018 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 102-मृदा संरक्षण, 03-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई योजनान्तर्गत मानक मद 27-सब्सिडी में रू० 728.07 लाख (रू० सात करोड़ अट्ठाइस लाख सात हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

3- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4- उक्त स्वीकृत की जा रही धनरशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 113-कृषि इन्जिनियरिंग, 05-सोलर फोटोवैलेटिक इरीगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान की योजनान्तर्गत मानक मद 27-सब्सिडी में होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 102-मृदा संरक्षण, 03-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई योजनान्तर्गत मानक मद 27-सब्सिडी आदि पर व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-7/2019/1515(1)/12-5-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
7. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी(पुस्त0-39 (भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(एक्ट नैचुरल का प्रस्तर-1586क[1])

अनुदान संख्या व नाम-11
कृषि विभाग अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

वित्तीय वर्ष 2018-19

प्रपत्र बी(पुस्त0-39

(धनराशि लाख रु0 में)

निम्नलिखित मदों से प्रस्तावित पुनर्विनियोग				वित्त विभाग द्वारा भर जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवंटन पत्र देने के दिनांक पर पुनर्विनियोग हेतु उपलब्ध धनराशि	आवंटन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध धनराशि	समर्पित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकलन हेतु अनुमोदित धनराशि	पुनर्विनियोग के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2401-पशु कृषि कोड-1 3 कृषि इन्जिनियरिंग 05 सॉयल कंजरवेशनिस्ट इंजीनियरिंग पार्ट की स्थापना पर अनुदान की योजना					
2401001305000					
27-सर्विसेज	1250.00	1900.00	720.07	720.07	1905.99
योग	1250.00	1900.00	720.07	720.07	1905.99

निम्नलिखित मदों में पुनर्विनियोग				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में व्ययावित्त धनराशि	पुनर्विनियोग हेतु अपेक्षित धनराशि (3-4)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित धनराशि	संकलन के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (5-6)
7	8	9	10	11	12
2402-पृष्ठ तथा पशु संरक्षण 102 पशु चिकित्सा 02 मुर्गेपालन ट्रेनिंग में नये पशु संस्थान एवं विस्तार की स्थापना					
2402C102030C0					
27-सर्विसेज	0.00	728.07	728.07	728.07	728.07
योग	0.00	728.07	728.07	728.07	728.07

(रू0 सात करोड़ अट्ठाइस लाख सात हजार मात्र)

(1) स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 4 में अंकित धनराशि कम तो नहीं या ज्यादा तो नहीं है।
(2) स्तम्भ-6 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-5 में अंकित धन निम्नलिखित कारणों से है:-
अतिरिक्त अनुदान 49 अतिरिक्त लघु शीर्षक एवं 33 प्रशिक्षण अन्य कृषकों को कृषि सेक्टर से जुड़ने करने हेतु।
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश वित्त मैनुअल के प्रकरण संख्या 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आ0वि0 291/दस-2018, दिनांक: 22.01.2019

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(दीपेन्द्र कुमार)
अ-3 वित्त (कृषि)
उत्तर प्रदेश।

(दिनेश कुमार सिंह)
उप सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- य

2- इ

संख्या–515/12–6–2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रभाग/आडिट प्रथम, इलाहाबाद।
2– वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3– मुख्य कोषाधिकारी, खजाना भवन, लखनऊ
4– वित्त (आय व्यय) अनुभाग–1, (मीएमओ–9 फोन प्रतियों में)।
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1
6– गार्ड फुक।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।